प्रेस विज्ञप्ति
26/1/2026

ईडी ने पीएसीएल धन शोधन मामले में 1986.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल ऑफिस-II ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लुधियाना (पंजाब) और जयपुर (राजस्थान) में स्थित 1,986.48 करोड़ रुपये की 37 अचल संपत्तियों को अनन्तिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड और उससे जुड़ी एंटिटीज़ द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।

यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत 19.02.2014 को दर्ज एफआईआर संख्या आरसीबीडी1/2014/ई/0004 से संबंधित है।

जांच से पता चला है कि आरोपी संस्था और व्यक्ति एक गैर-कानूनी सामूहिक निवेश योजना चला रहे थे, जिसमें खेती की ज़मीन की बिक्री और विकास की आड़ में पूरे भारत में लाखों निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के ज़रिए निवेश करने के लिए उकसाया गया और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें एग्रीमेंट, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे। ज़्यादातर मामलों में, कोई ज़मीन कभी डिलीवर नहीं की गई और निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी बाकी है। इस योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और गैर-कानूनी फ़ायदा कमाने के लिए कई फ्रंट एंटिटी और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल किया गया।

आगे की जांच से पता चला कि अनजान निवेशकों से इकट्ठा किए गए धन को अलग-अलग संबंधित और असंबंधित एंटिटीज़ के ज़रिए भेजा गया और आखिर में दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों और साथियों, और मेसर्स पीएसीएल की रिलेटेड एंटिटीज़ के बैंक अकाउंट्स में जमा किया गया। इस धनराशि का इस्तेमाल बाद में उनके नाम पर अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया।

जांच के दौरान, प्रेम कौर (दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू की पत्नी), बरिंदर कौर (दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू की बेटी), सुखविंदर कौर (दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू की बेटी), गुरप्रताप सिंह (दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू के दामाद) और प्रतीक कुमार (दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू के करीबी सहयोगी) के खिलाफ ओपन-एंडेड नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए गए हैं। ईडी ने 2016 में एक इसीआईआर दर्ज की और 2018 में एक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसके बाद 2022 और 2025 में दो पूरक अभियोजन शिकायत, अपराध की आय को शोधित करने वाले आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ दायर की गईं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने अब तक दायर की गई सभी अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लिया है।

कुर्क की गई 37 संपत्तियों की पहचान निवेशकों के धन से अर्जित की गई संपत्तियों के तौर पर हुई है और इस तरह ये अपराध की आय हैं। इस कुर्की के साथ, ईडी ने अब तक लगभग रु. 7,589 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिसमें भारत और विदेश में स्थित संपत्तियां शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।